न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 14 / 2022	2022 / 134	11.04.2022	21.06.2022

उनवान

1. श्रीमती रेशम देवी पुत्री श्री श्योनारायण जाति मेघवाल, निवासी ग्राम सागवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनु हाल निवासी मकान नं0 60 ए ब्लाक नवीन प्लेस, झरोदा कलां साउथ वैस्ट, दिल्ली ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. डपतहसीलदार मांढण, तहसील नीमराना, जिला अलवर राज0।

रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार मांढण का निर्णय दिनांक 28.01.2022 नामान्तकरण संख्या 1846 तहसील नीमराना जिला अलवर राज0

उपस्थित:—

01. श्री निर्मल यादव **—वकील अपीलान्ट**

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील उप—तहसीलदार मांढण के आदेश दिनांक 28.01.2022 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 1846 तहसील नीमराना जिला अलवर जिसे बेजा तौर पर अस्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ग्रम सागवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनु हाल निवासी मकान नं0 60 ए ब्लाक नवीन प्लेस, झरोदा कलां साउथ वैस्ट, दिल्ली में निवास कर रही है। अपीलान्ट अनुसूचित जाति की महिला है। अपीलान्ट ने दिनांक 25.10.2021 को आराजी खसरा नं0 719 रकबा 0.72 वाके ग्राम बसई भोपालसिंह तहसील नीमराना की आराजी जरिये विक्रय पत्र रविन्द्र, हरफूल, होशियार वगे0 से खरीद की थी, जो दिनांक 26.10.2021 को उपपंजीयक माढंण द्वारा पंजीकृत की गई। अपीलान्ट ने उक्त आराजी का इन्तकाल दर्ज करने के लिए पटवारी हल्का माजरा को प्रार्थनापत्र दिया तो पटवारी हल्का द्वारा मौखिक रूप से कहा गया की अपीलान्ट दूसरे राज्य की निवासी है इसलिए उक्त आराजी का इन्तकाल अपीलान्ट के नाम धारा 42बी आर.टी.एक्ट के तहत नही चढेगा। अपीलान्ट द्वारा पटवारी व तहसीलदार को स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि अपीलान्ट राजस्थान की निवासी है। इस संबंध में पटवारी को सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिये गये थे। परन्तु उप—तहसीलदार माढंण द्वारा इन्तकाल नहीं चढाया तथा कहा गया की आप कलक्टर अलवर से आदेश लेकर आओ जिस पर अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 08.02.2022 को कलक्टर साहब अलवर को देकर इन्तकाल दर्ज करने का निवेदन किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय ने अपीलान्ट से कहा की आप एक सप्ताह बाद तहसीलदार नीमराना से सम्पर्क करें मैं आपका प्रार्थना पत्र वहां भेज रही हूँ दिनांक 16.02.2022 को तहसीलदार नीमराना के कार्यालय में गई तो उन्होने कहा की यहां कोई पत्र नहीं आया है। अपीलान्ट पुनः दिनांक 25.02.2022 को अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर से जानकारी करने आई तो पता चला की उक्त पत्र सर्तकता कार्यालय द्वारा कमांक 2385 दिनांक 09.02.2022 के द्वारा तहसीलदार नीमराना को प्रेषित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 02.03.2022 को तहसील नीमराना कार्यालय में गई

जिला कलक्टर
अलवर

फिर भी उक्त पत्र के बारे में तहसीलदार कार्यालय में अनभिज्ञता जाहिर की गई। अपीलान्ट ने रैस्पॉडेन्ट कार्यालय से इन्तकाल के बारे में जानकारी चाही तो उन्होने बताया की तुम्हारा इन्तकाल खारिज कर दिया है। जिस पर अपीलान्ट द्वारा 02.03.2022 को नकल प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रमाणित नकल दिनांक 03.03.2022 को उपलब्ध कराई गई। जिसको देखने पर अपीलान्ट को पता चला की उक्त तहसीलदार माढंण द्वारा दिनांक 28.01.2022 को ही इन्तकाल खारिज कर दिया गया है। अपीलान्ट ने वक्त विक्रय पत्र को पंजीकृत कराते समय भी विक्रय पत्र के साथ अपना जन्मप्रमाण पत्र, स्कूल की टी.सी., उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र पेश किया था। जिसके आधार पर ही उप पंजीयक महोदय द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में विक्रय पत्र पंजीबद्व किया था। पटवारी हल्का ने बिना जांच किये अपनी रिपोर्ट उपतहसीलदार माढंण को दे दी तथा उपतहसीलदार माढंण द्वारा दस्तावेजो पर बिना गौर किये पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन इन्तकाल खारिज किया गया है, जो निर्णय निरस्त योग्य है। अपीलान्ट को निर्णय दिनांक 28.01.2022 की जानकारी दिनांक 02.03.2022 को भी निर्णय प्रति 03.03.2022 को प्राप्त हुई। अपील दिनांक 08.03.2022 को पेश कर दी गई। अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.01. 2022 को निरस्त किया जाये एवं अपीलान्ट के नाम खरीदशुदा आराजी खसरा नं0 719 रकबा 0.72 वाके ग्राम बसई भोपालसिंह तहसील नीमराना जिला अलवर का इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इंतकाल नं0 1846 वाके ग्राम बसई भोपालसिंह उपतहसीलदार माढंण तहसील नीमराना दिनांक 28.01.2022 खारिज करने से पूर्व अपीलार्थी के कागजात यथा टी.सी. फार्म, जन्मप्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादी का अवलोकन नहीं करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया गया है। अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार मांढण तहसील नीमराना जिला अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा दस्तावेज यथा टी.सी. फार्म, जन्मप्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादी पेश करने पर उक्त दस्तावेजात की जांच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलेक्टर, अलवर
(राजस्थान)